

आवेदित वन भूमि तथा वन सस्य की क्षतिपूर्ति एवं समतुल्य गैर वानिकी क्षेत्र सम्बन्धी
प्रमाण पत्र

विषय:—जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेंज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मथुरा में उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि प्रभावित हो रही हैं। जिसमें 0.0875 हेक्टे० आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वनस्वरूप क्षेत्र की 0.2014 हेक्टे० वनभूमि का गैरवानिकी उपयोग निहित है। आवेदित आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वनस्वरूप क्षेत्र की वन भूमि तथा वन सस्य की क्षतिपूर्ति के समतुल्य गैर वानिकी क्षेत्र का वन विभाग को हस्तान्तरित करने तथा इस वन भूमि पर वृक्षारोपण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन करने हेतु याचक विभाग वचनबद्ध है।


योगेश कुमार शर्मा

परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एव सीवरेंज ईकाई
उ०प्र० जल निगम, मथुरा

२/५



क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज


रजनीकान्त मिश्रा
प्रशासनिक विदेशक
स्थानाधिक वानिकी प्रभाग
मथुरा